

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत... उपायुक्त अधिकारी ... मुकाम... बायलु

बनाम... सताराम ... धोलाराम वगैरे
 किस्म मुकदमा... राजस्व ... नं. 132/202 ... सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/3/22	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>विठ्ठलराम विप्राग</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>19/4/22</u> को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायलु	
19/04/22	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रागिवा ने नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रा गप/विप्रागिवा वाक्युत तामिल विप्रागिवा/न्यायालय समु तीन बार मावाज लगाई गई मीनिम अवाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रागिवा स्व या उनही मीट ले डेई अविप्रागिवा उपस्थित नहीं योने ले विप्रागिवा इमपुन ले विप्रागिवा डिनांक विप्रागिवा के विप्रागिवा 8:30 घाटी इमपुन ले लाई जाती है। अतः पत्रा वली पत्रावली दिनांक-27/04/2022 को जारी है। सहायक कलक्टर (SDO) बायलु	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/04/2022

प्रार्थी वकील उपरिथत/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दपतर हो।

सहायक वकील
(SDO) बायतु

न्यायालय
माक/बाद/2022/प्रार्थी 355
सताराम पुत्र म
जाति कट
पटवार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/ 355
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 27/4/22
विप्रार्थीगण

1. सताराम पुत्र भुराराम,
जाति जाट, निवासी हेमजी का तला,
पटवार मण्डल बायतु चिमनजी,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. छौलाराम पुत्र चेनाराम वगैरा 28,
जाति जाट, निवासी हेमजी का तला,
पटवार मण्डल बायतु चिमनजी,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 132/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - हेमजी का तला, पटवार हल्का - बायतु चिमनजी, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 621/390 रकबा 44.9885 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद /2022/ 356 to 360

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सताराम पुत्र भुराराम,
4. विप्रार्थी श्री छौलाराम पुत्र चेनाराम वगैरा 28,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

सहायक कलेक्टर
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 27/4/22

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(S.D.O.) गिड़ा